दिनांक 28.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 41/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **31 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 28.01.2025 को थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 56 टी पॉइंट के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विजय उर्फ अजूबा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शिवम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 31 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध चोरी, लूट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय उर्फ अजूबा निवासी पुरानी त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस वन नई दिल्ली हालपता–नया गांव भील अकबरपुर थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2–शिवम निवासी काकर बीटा जनपद जापा, नेपाल हालपता– नया गांव भील अकबरपुर थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–31 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 28 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी की 03 एलईडी, 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त ई–रिक्शा आदि बरामद**

दिनांक 28.01.2025 को थाना पिलखुवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करीमपुर तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–शाहरूख 2–सलमान 3–शाकिर 4–वरूण को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 28 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी की 03 एलईडी, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त ई–रिक्शा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण, एलईडी आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में

चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 12 अभियोग, अभियुक्त शाकिर के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त वरूण के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहरूख निवासी मो0 छिद्दापुरी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

2–सलमान निवासी नील गगन थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

3–शाकिर निवासी प्रताप विहार सेक्टर–12 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–वरूण निवासी शुक्लान जटपुरा रोड थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी के 28 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

3–चोरी की 03 एलईडी, 01 मोबाइल फोन।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त ई–रिक्शा आदि।

जनपद बरेली/थाना सुभाषनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के नगद रूपये, 05 ई–रिक्शा, 40 बैटरा, 06 टायर, 05 रिम, 02 स्टेपनी, 02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28.01.2025 को थाना सुभाषनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीडीए गेट से मिलक जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी।

पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त महेशचन्द्र घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–रजत सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के नगद रूपये, 05 ई–रिक्शा, 40 बैटरा, 06 टायर, 05 रिम, 02 स्टेपनी, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त महेशचन्द्र के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग एवं अभियुक्त रजत के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सुभाषनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महेशचन्द्र निवासी मोहल्ला सुभाष बाटिका बिहारीपुर थाना कोतवाली जनपद बरेली।

2–रजत निवासी बिहारीपुर थाना कोतवाली जनपद बरेली।

बरामदगी

1–चोरी के नगद रूपये, 05 ई–रिक्शा, 40 बैटरा, 06 टायर, 05 रिम, 02 स्टेपनी, 02 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना लोहामंडी

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के (पीली–सफेद) धातू के आभूषण**
- **धोखाधड़ी के 26 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 28.01.2025 को थाना लोहामंडी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीआईसी ग्राउण्ड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–हाशिम हुसैन 2–सलीम उर्फ सलमान घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–मीसम हुसैन 4–हसन अली उर्फ हसनैन 5–मोईन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के (पीली–सफेद) धातू के आभूषण, धोखाधड़ी के 26 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त हाशिम हुसैन के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त सलीम उर्फ सलमान के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त हसन अली उर्फ हसनैन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लोहामंडी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हाशिम हुसैन निवासी देवझिरी कॉलोनी सैधंवा जनपद बडवानी मध्यप्रदेश।

2–सलीम उर्फ सलमान निवासी बम्बे के पास मोहम्मदी मस्जिद टेड़ी बगिया थाना ट्रांस यमुना कमिश्नरेट आगरा।

3–मीसम हुसैन निवासी देवझिरी कॉलोनी सैधंवा जनपद बडवानी मध्यप्रदेश।

4–हसन अली उर्फ हसनैन निवासी कस्तूरी नगर रायगढ़ उड़ीसा।

5–मोईन निवासी देवझिरी कॉलोनी सैधंवा जनपद बडवानी मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के (पीली–सफेद) धातू के आभूषण।

2–धोखाधड़ी के 26 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 चार पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बिठूर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 18 हजार 580 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 27.01.2025 को थाना बिठूर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त आयुष उर्फ प्रीतू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 18 हजार 580 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.01.2025 को थाना बिठूर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिठूर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिठूर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आयुष उर्फ प्रीतू निवासी ग्राम बगदौदी बांगर मंधना थाना बिठूर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 18 हजार 580 रूपये नगद आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.01.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बराही मन्दिर के पास से 05 अभियुक्तों 1–गौरव 2–राजा 3–अरविन्द 4–आशीष

5–सिवान उर्फ लख्खा को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को बाल संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौरव निवासी कृति नगर थाना माडल टाउन जनपद होशियारपुर पंजाब।

2–राजा निवासी ग्राम पुरा जनपद सम्भल, वर्तमान पता ग्राम देवला थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–अरविन्द निवासी ग्राम नंदगांव थाना कोतवाली देहात जनपद एटा, वर्तमान पता लखनावली मोड़ कस्बा व थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4–आशीष निवासी ग्राम शीतलपुर थाना सारा बिहार वर्तमान पता ग्राम तिलपता थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5–सिवान उर्फ लख्खा निवासी ग्राम ककेडी हरदोई वर्तमान पता पुलिस लाइन कट के पास थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 32 किलो 225 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 आधार कार्ड**
- **01 ड्राइविंग लाइसेंस**
- **01 एटीएम कार्ड**
- **नगद रूपये बरामद**

दिनॉकः 27.01.2025 को एएनटीएफ/एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी द्वारा सूचना के आधार पर बन्दरगाह सुन्दरीपुल के नीचे थाना रामनगर कमिश्नरेट

वाराणसी से 02 अभियुक्तों 1—उमेश 2—धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 32 किलो 225 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 02 आधार कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 एटीएम कार्ड, नगद रूपये बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उमेश निवासी रामपुर गच्छई थाना काराकट जनपद रोहताश, बिहार।

2—धर्मेन्द्र निवासी वार्ड नं0—09 रेहारी थाना करगहर जनपद रोहताश, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 32 किलो 225 ग्राम अवैध गांजा।

2—02 मोबाइल फोन।

3—02 आधार कार्ड।

4—01 ड्राइविंग लाइसेंस।

5—01 एटीएम कार्ड।

6—नगद रूपये।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना नन्दग्राम

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 लाख रूपये कीमत के 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 टाटा कैन्टर ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 28.01.2025 को थाना नन्दग्राम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नन्दग्राम क्षेत्र से अभियुक्त सुदामा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 05 लाख रूपये कीमत के 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 टाटा कैन्टर ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुदामा निवासी ललहेडी रोड कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी

1—05 लाख रूपये कीमत के 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 टाटा कैन्टर ट्रक आदि।

- **जनपद गोरखपुर/थाना चिलुआताल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चिलुआताल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चुनमुन को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55—55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमेठी द्वारा थाना गौरीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/304/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—खेमचन्द्र उर्फ गब्बर 2—अंकित 3—अक्षय को सश्रम आजीवन कारावास व 55—55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना मझगवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60—60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मझगवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376डी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—करन 2—रामप्रकाश को आजीवन कारावास व 60—60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद गोण्डा (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 09 लाख 41 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद गोण्डा पुलिस ने अभियुक्त 1–बलराम उर्फ शिवकुमार तिवारी पुत्र महादेव निवासी बेलवा दरियापुर हरदोपट्‌टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा 2–अनिल कुमार पुत्र शेषनारायण दुबे निवासी विचऊपुरवा दरियापुर हरदोपट्‌टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 09 लाख 41 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

एस0टी0एफ0–कमिश्नरेट आगरा के अवधपुरी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नकली टाटा नमक व सर्फ एक्सल वाशिंग पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भण्डाफोड कर भारी मात्रा में नकली टाटा नमक व सर्फ एक्सल वांशिग पाउडर बरामद व फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार।

दिनाकः 27–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बड़े पैमाने पर नकली टाटा नमक व सर्फ एक्सल वाशिंग पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए आटोमेटिक पैकिंग मशीन व कूटरचित प्रतिरूपित टाटा नमक व सर्फ एक्सल की बरामदगी के साथ फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– जीतेन्द्र उर्फ जीतू राठौर पुत्र स्वः राजकुमार राठौर निवासी खसरा नम्बर 03, दौलतपुर अजीजपुर धनौली मलपुरा, कमिष्नरेट आगरा।

बरामदगी :–

1– 1 अदद आटोमेटिक पैकिंग मशीन

2– 2 अदद छोटी पैकिंग मशीन

3– 1 अदद बोरा की सिलाई मशीन

4– 2 अदद काटें इलेक्ट्रानिक नापतोल

5– 11 अदद खोमचा माल भरने/मशीन में डालने के लिए

6– 4720 सर्फ एक्सल वाषिंग पाउडर के 80 ग्राम के पैकिट कूटरचित

7– 55 अदद कट्टे टाटा नमक कूटरचित (1375 किलोग्राम) 25 किलोग्राम के

8– 96 अदद बोरी प्रति बोरी 50 किलोग्राम (4800 किलोग्राम) के कट्टे लोकल ब्रान्ड नमक

9– 620 अदद खाली कट्टे टाटा नमक

10– 13400 खाली पाउच टाटा नमक

11– 2 अदद बण्डल सर्फ एक्सल वाषिंग पाउडर के खाली पाऊच वनज 40 किलोग्राम, (15000)

12– 7 अदद पैकिंग धागा बण्डल

13– 65 अदद खाली कट्टे सर्फ एक्सल वाषिंग पाऊडर के

14– 04 अदद वाषिंग पाऊडर के कट्टे (कुल 200 किलोग्राम लोकल)

15– 52 अदद बोरा टाटा नमक प्रत्येक 50 किलोग्राम (2600 किलोग्राम)

16– 1 अदद आधार कार्ड

17– 1 अदद पेन कार्ड

18– 1 अदद मोबाइल फोन

19– 2 अदद एटीएम

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–27–01–2025 समय–20:10 मकान नम्बर 77 चौकी अवधपुरी, थाना क्षेत्र जगदीशपुरा, कमिश्नरेट आगरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से आगरा व आप–पास के जनपदों में बड़े पैमाने पर नकली टाटा नमक व सर्फ एक्सल वाषिंग पाऊडर बनाने एवं सप्लाई किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 27–01–2025 को एस0टी0एफ0 आगरा की टीम कमिश्नरेट आगरा के थाना क्षेत्र जगदीशपुरा में अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से निरीक्षक हुकुम सिंह, हे0कान्सगण विमल कुमार, अंकित गुप्ता, बल्देव सिंह, कृष्णवीर सिंह, आरक्षी प्रदीप चौधरी भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मकान नम्बर 77 अवधपुरी थाना क्षेत्र जगदीशपुरा में बड़े स्तर पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लि0 व हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि0 के नकली प्रोडक्ट बनाये जा रहे हैं। उक्त सूचना पर निरीक्षक श्री हुकुम सिंह मय टीम व थाना जगदीषपुरा पुलिस के साथ उक्त मकान में दबिश देकर अवैध फैक्ट्री संचालक जितेन्द्र उर्फ जीतू उपरोक्त को मय उपरोक्त कूटरचित सामान व बनाने वाली पैकिंग के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया, जहाँ से उक्त माल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू ने पूछताछ पर बताया कि वह यह काम लगभग तीन साल से कर रहा है और वह कच्चा माल (नमक व लोकल वाशिंग पाऊडर) आगरा से सस्ते दामों पर खरीद लेता है व पैकिंग के पाउच/कट्टे दिल्ली सदर से हेमन्त व वासु से खरीद कर उक्त प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में पैकिंग/तैयार कर आस–पास के जिलों व राजस्थान के माधौगढ़, किशनगढ़, चित्तौड़गढ व धौलपुर आदि ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई कर देता हूॅ। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट जैसे गोल्ड फ्लैक सिगरेट, फैवीक्विक, दन्त कान्ति टूथपेस्ट, एम0डी0एच0 गरम मसाला व मैगी पाउडर की नकली पैकिंग प्रोडक्ट दिल्ली/विहार से खरीद कर आस–पास के क्षेत्रों में बेच देता है। इस कार्य में उसे लगभग 2 से 2.50 लाख रूपये प्रतिमाह की आमदनी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना जगदीशपुरा, कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0स0 46/2025 धारा–318(4), 338,336(3),340(2) भारतीय न्याय संहिता व 63/65 कापीराइट, 103,104 ट्रेड मार्क अधि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 तस्कर 6.089 कि0ग्रा0 चरस अवैध के साथ गिरफ्तार ।

दिनांक 28—01—2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 6.089 कि0ग्रा0 चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 30 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1. अमित कुमार उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र स्व0 सुभाष प्रसाद निवासी वार्ड नं0—11 नागा रोड, थाना रक्सोल, पूर्वी चम्पारन, जनपद मोतिहारी, बिहार।

बरामदगीः—

1— 6.089 कि0ग्रा0 चरस अवैध। (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 30 लाख रूपये)

2— 01 अदद मोबाइल फोन सैमसंग

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः—

सम्भल चौराहे के पास फ्लाईओवर के नीचे थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद। दिनांक—28—01—2025 समय—15.12 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में व उ0नि0 अमित कुमार के नेतृत्व में मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल, मु0आ0 रामजी लाल, मु0आ0 शिवओम पाठक, आ0 संजय यादव, व चालक मु0आ0 मनोज कुमार अवस्थी एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना गलशहीद, जनपद मुरादाबाद क्षेत्रान्तर्गत सम्भल बस अड्डे के पास फ्लाईओवर के नीचे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 व्यक्ति आने वाला है, जिसके पास

भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ होने की सम्भावना है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर सम्भल बस अड्डे के पास फ्लाईओवर के नीचे से मुखबिर की निशादेही पर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 6.089 कि0ग्रा0 अवैध चरस बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह ये अफीम बिहार निवासी मास्टर से लाते हैं व सहारनपुर निवासी रशीला पत्नी अब्दुल बहाव को सप्लाई करते हैं। जिससे हमें मोटा मुनाफा होता है। हमारी आय का यही साधन है। आज भी यह चरस लेकर मुरादाबाद से बस पकड़कर रशीला उपरोक्त को देने सहारनपुर जा रहे थे।

बिहार निवासी मास्टर व रषीला उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अमित कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद पर मु0अ0सं0– 16/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना गलशहीदजनपद मुरादाबाद द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 शातिर तस्कर गिरफ्तार, 5 कि0ग्रा0 628 ग्राम चरस (अनुमानित मूल लगभग 30 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक–28–01–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 शातिर तस्करों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 05 कि0ग्रा0 628 ग्राम चरस (अनुमानित मूल लगभग 30 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. संतोष कुमार झा पुत्र स्व0 रत्नेश्वर झा नि0 गडबडुवाड़ी, थाना सुपौल, जनपद सुपौल, बिहार।
2. शिखा वर्मा पुत्री सरोज सेठ नि0 कंदवा, थाना चितईपुर, जनपद वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय :-</u>

जनपद सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना के पास दिनांक-28-01-2025

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगों से कुल बरामदगी :-</u>

1- 5 कि0ग्रा0 628 ग्राम चरस (अनुमानित मूल लगभग 30 लाख रूपये)

2- 2600/-रूपये नगद।

3- 4 अदद मोबाइल

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी समय से अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी से अवैध धन कमाने की सूचनाऐं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित एक टीम द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद वाराणसी में ड्रग्स माफियाओं का एक संगठित गिरोह कार्य कर रहा है, जिनके द्वारा चरस, गांजा, हशीश, स्मैक आदि नशीले पदार्थ हिमाचल प्रदेश के मनाली, बिहार व नेपाल के बार्डर से भारी मात्रा में लाकर जनपद वाराणसी एवं आसपास के जनपदों में बेचा जाता है। मादक पदार्थ तस्करों द्वारा मादक पदार्थ बस/ट्रेन के द्वारा भी देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचवाया जाता है। इसी क्रम में आज दिनांक-28-01-2025 को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले उक्त गिरोह के 02 सदस्य जिसमें एक महिला भी है, दि0 21-01-2025 को बस द्वारा मनाली हिमांचल प्रदेश चरस लेने गए हैं। आज वो लोग बस से ही चरस लेकर मनाली से दिल्ली होते हुए वाराणसी आने वाले हैं, यदि शीघ्रता की जाये तो रास्ते में पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विष्वास करते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा लखनऊ-वाराणसी रोड पर स्थित थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर के स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बतायी गयी बस नं0:MP-14-ZE-7666 को थाना कोतवाली देहात के गेट के पास रोककर बस की तलाशी कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछतांछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि संतोष कुमार झा उक्त गैंग के सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 उपेन्द्र मिश्रा निवासी नीलकण्ठ (काली माता मंदिर के पास) थाना चौक जनपद वाराणसी का रिश्तेदार है, जो पैसे के लालच में आकर सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा के साथ मादक पदार्थ के तस्करी में संलिप्त है।

अभियुक्ता शिखा वर्मा स्वयं नशीले पदार्थ की सेवन करती है। शिखा वर्मा को सेवन के लिये नशीला पदार्थ व पैसा देने का लालच देकर गैंग में शामिल कर लिया गया था। शिखा वर्मा को इसलिये शामिल किया गया था कि ड्रग्स लाते समय साथ में महिला होने से कोई शक नही करेगा और सुचारू रूप से ड्रग्स लाया जा सकता है। सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा मादक पदार्थ खरीदने हेतु पहले संबंधित को ऑनलाइन पैसा भेज दिया जाता था, इसके उपरान्त अपने गैंग के संबंधित सदस्य को मोबाइल देकर मादक पदार्थ लाने हेतु भेजा जाता है। दिनांक 21—01—2025 को अभियुक्तगण संतोष कुमार झा व शिखा वर्मा को बस द्वारा मनाली भेजा गया तथा बताया गया कि ओल्ड मनाली में तनु नामक आदमी से ड्रग्स लेना है। ये लोग बताये अनुसार मनाली पहॅुचकर तनु से उक्त ड्रग्स ले लिये। यह ड्रग्स लाकर वाराणसी में देना था। इस काम के लिये इन्हें प्रति चक्कर 50—50 हजार रूपये दिये जाते थे। वाराणसी मंगाकर उक्त ड्रग्स को सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के माध्यम से वाराणसी के विभिन्न स्थानों के साथ—साथ वाराणसी के बाहर भी भेजकर भारी लाभ कमाया जाता है।

सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा व अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 111 बी0एन0एस0 व 08/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम आवष्यक विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————